वन संरक्षक अधिनियम 1980 के तहत् वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या 2015/028

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़ राज्य
(ii) जिला	बस्तर
(iii) वन प्रभाग	बस्तर वन मंडल जगदलपुर
(iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.672 हे0
(v) वन की कानूनी स्थिति	बस्तर जिले के बस्तर वनमण्डल के माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आमागुड़ा संरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक 1809 पी रकबा 0.672 हे. वनभूमि।
(vi) हरियाली का घनत्व	द्वितीय एवं तृतीय स्थल गुण श्रेणी का 0.5 का विरल घनत्व वन है।
(vii) प्रजाति–वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल–2 मीटर की परिगणना और एफ आर एल 4 मीटर भी संलग्न किए जाए)	**संलग्न है।**
(viii) भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	–
(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन भूमि के अन्दर
(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य,जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	नहीं।
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुलर्भ/सकंटापन्न /विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नही।
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तदत्संबंधी प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ , यदि अपेक्षित हो, दें।	नही।

8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग – 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाचें गए विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहें है।	नहीं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:–	
(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/ आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	आवश्यकता नहीं।
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवकमित वन क्षेत्र, और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	आवश्यकता नहीं।
(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	आवश्यकता नहीं ।
(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	आवश्यकता नहीं ।
(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टि से सक्षमप्राधिकरण से प्रमाणपत्र (संबंधित वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	आवश्यकता नहीं ।

11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	प्रतावित क्षेत्र 40.000 हे0 कम होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरिक्षण रिपोर्ट आवश्यक नहीं है
12. विभाग/जिला प्रोफाइल (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4091.000 वर्ग कि0मी0
(ii) जिले का वन क्षेत्र	अरक्षित वन — 1083.761 वर्ग कि.मी. संरक्षित वन — 661.326 वर्ग कि.मी. असिंमांकित वन — 466.720 वर्ग कि.मी **2211.807 वर्ग कि.मी.**
(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियेाजना — 595.630 हे0 प्र0मं0ग्र0स0येा0 गिट्टी उत्खनन ग्राम उडियापाल,डिलमिली इरपा — 2.400 हे0 बी0आर0ओ0 सडक चौडिकरण —37.031 हे0 सर्वेक्षण संग्रहालय निर्माण — 0.789 हे0 रेल लाईन निर्माण —10.763 हे0 भोण्ड जलाशय — 0.630 हे0 पीठापुर जलाशय — 7.860 हे0 तारापुर जलाशय —19.448 हे0 रक्षा अनुसंधान एवं विकास —132.598 हे0 पुलिस चौकी निर्माण —0.900 हे0 पानी पाईप लाईन निमार्ण —25.720 हे0 विद्युत लाईन निर्माण —4.712 हे0 जल विद्युत परियोजना —19.718 हे0 **योग 848.199 हे0**
(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर	नहीं । नहीं।
(v) तक प्रति पूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर	वैकल्पिक वृक्षारोपण — 5635.000 हे0 आर.डी.एफ — 6200.000 हे0 **योग — 11835.000 हे0** 30.00 हेक्टेयर

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	बस्तर जिले के बस्तर वनमण्डल के माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आमागुड़ा संरक्षित वनखण्ड कक्ष कमांक 1809 पी रकबा 0.672 हे. वनभूमि में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग– जगदलपुर को पहुंच मार्ग निर्माण हेतु अत्यन्त आवश्यक है। उक्त मार्ग उन्नयन से ग्राम जिरागांव, बम्हनी, चोकावाड़ा एवं आमागुड़ा आदि के ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा होगी तथा यह मार्ग राष्ट्रीय राज्यमार्ग क्र. 63 जगदलपुर से जयपुर रोड में सीधे जुड जायेगी। आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गई भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु एवं प्रस्तावित क्षेत्र नक्सल प्रभावित **(LWE- Left Wing Extremism Affected Districts)** क्षेत्र होने के कारण वनभूमि प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः– 27.03.2017
स्थानः– जगदलपुर

(राजु अगसिमनि)
(भा.व.से.)
वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर